न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मु. नं.	दायर दिनांक	अ.धा.	निर्णय दिनांक
19/2021	15.07.2021	91 एल.आर.एक्ट	27.08.2021

सरकार बनाम श्रवणी देवी पत्नि चिरंजी लाल जाति ब्रहम्ण निवासी ढाणी खरबासा

27.08.2021 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ढाणी खेदड़ा द्वारा संवत 2078 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम ढाणी खेदड़ा पटवार हल्का ढाणी खेदड़ा के भूमि खसरा नं0 391/279 रकबा 5.60 है0 किस्म गै0 मु0 गोचर् के 0.0300है0 रकबे पर बनाम श्रवणी देवी पत्नि चिरंजी लाल व चन्द्रकांत,नवरत्न,जयप्रकाश पुत्र चिरंजी लाल जाति ब्रहम्ण निवासी ढाणी खरबासा ने कच्चा निर्माण कर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का ढाणी खेदड़ा के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगणो को वास्ते तलबी एवं जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगणो द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगणो द्वारा अतिकमित रकबे के कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं।

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं अप्रार्थीगणो जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगणो द्वारा मौजा ग्राम ढाणी खेदड़ा पटवार हल्का ढाणी खेदड़ा के भूमि खसरा नं0 391/279 रकबा 5.60 है0 किस्म गै0 मु0 गोचर् के 0.0300है0 रकबे पर किया गया अतिक्रमण अवैध होने के कारण अप्रार्थीगणो को अतिकमी घोषित किया जाता है। भू0 अ0 नि0 गुढा गौड़जी को इस अवैध अतिकमित भूमि पर से अतिकमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली पेश करने हेतु लिखा जावें।

अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.75 का 50 गुणा तावान की कुल राशि 38/– रू मात्र बतौर शास्ती जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 27.08.2021को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी

नायब तहसीलदार
उप तहसील गुढ़ा गौड़जी